

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

ई0 सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
संरचना भवन प्रमंडल-01,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- **Permission related to Internship/Industrial Training** दिनांक:- 06.01.2026 से 21.01.2026 तक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक:- 29.03.2022 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभाग के अन्तर्गत Internship/Industrial Training हेतु बैठक हुई थी। Government Engineering College, Sheikhpura, Bihar से अनशंसा आयी है। अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित छात्रों को नामित भवन प्रमंडल के अन्तर्गत चल रहे Mega Projects से जुड़कर नियमानुसार प्रशिक्षण दिए जाने संबंधी कार्रवाई की जाए।

S.No.	Name of Student	Roll No, PAR & Registration	Name of College	Reference No.& Date	Alloted
1.	Nisha Kumari	25101157903	Government Engineering College, Sheikhpura, Bihar	Ref.- GEC/SHK/2025/1180 Dated:- 18.12.2025	Office of the Exexutive Engineer Constrtuction Division- 01, Patna.
2.	Priya Kumari	25101157906	Government Engineering College, Sheikhpura, Bihar	Ref.- GEC/SHK/2025/1180 Dated:- 18.12.2025	Office of the Exexutive Engineer Constrtuction Division- 01, Patna.

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रशिक्षु छात्र/छात्रा का पहचान पत्र एवं अंक पत्र सत्यापन के पश्चात् प्रशिक्षण करायेगे।

3. छात्रों को योगदान करने एवं आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इन्हे नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई सुविधाएँ एवं भत्ता देय नहीं होगा।

4. छात्रों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

5. छात्रों के ऊपर प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्यवहार की स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण से तत्काल निष्कासित करते हुये संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सूचित किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् विभाग में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदपि प्रशिक्षण अवधि का परियोजना का नाम एवं अन्य brief प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र Description of Projects के साथ संबंधित प्रशिक्षुओं को एक प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

7. उक्त सभी प्रशिक्षु छात्र/छात्रा दिनांक:- 06.01.2026 से 21.01.2026 तक Internship/Industrial Training में ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
अनु0:- यथोक्त अनुरोध प्रत्र की प्रति।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ई0 सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

(ई0 सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-..... 92 (अ)

पटना, दिनांक:-... 6/1/26.

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ई0 सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

